न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 65/2013

वीरपाल कौर उर्फ सिमरनजीत कौर पुत्री गुरचरण सिंह पत्नी रिछपाल सिंह जाति जटसिख निवासी प्रेमनगर, कोटकपूरा तहसील कोटकपूरा जिला फिरोजपुर (पंजाब)।

--प्रार्थी--

बनाम

गुरचरण सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।

परमजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।

हरबंस कौर बेवा सन्ता सिह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।

जगसीर सिह पुत्र सन्ता सिह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।

गुरदयाल सिह पुत्र अर्जुन सिह सिह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।

हरफूल सिह पुत्र अर्जुन सिह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।

बक्शीश सिह पुत्र अर्जुन सिह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।

जगदीश सिह पुत्र अर्जुन सिह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।

बेअन्त सिह पुत्र अर्जुन सिह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्रीकरणपुर।

0. बलजिन्द्र सिह पुत्र जसलाल सिह जाति जटसिख निवासी 4 एम तहसील श्रीकरणपुर।
1. सुखपाल सिह पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख निवासी 4 एम तहसील श्रीकरणपुर
2. राज्य सरकार जरिये राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 28/2/2013

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 20 जमाबंदी सम्वत 2066 ता 69 के खाता संख्या 75/69 के मु0 न0 11 के किला न0 1 ता 4,7 ता ता 20 प्रत्येक 0.253 है0 नहरी तथा किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक 0.228 नहरी कुल 4.960 है0, मु0 के किला न0 1 ता 20 प्रत्येक सालम, किला नं0 21 ता 23 प्रत्येक 0.228 हैक्टर, किला नं0 24 व क 0.227 हैक्टर कुल 6.198 हैक्टर नहरी व मु0 नं0 74/6 के 0.228 हैक्टर खाला कुल 11.386 नहरी भूमि मय गैरमुमकिन खाला राजस्व अभिलेख मे अंकित है। इस खाता मे जसवन्त सिह पुत्र सोहन नाम जो प्रार्थीया का दादा था के नाम 70 हिस्सा अर्थात 0.885 हैक्टर नहरी भूमि खातेदार की हैसियत स्व रिकार्ड मे दर्ज थी। प्रार्थीया के दादा जसवंत सिंह का देहांत दिनांक 09.05.2012 को हो चुका है। पत्नी जरनैल कौर का भी देहान्त हो चुका है। जसवन्त सिह की वंशावली निम्न प्रकार से है :-

जसवन्त सिह (फौत)

जरनैल कौर (पत्नी) फौत

रण सिह (प्रार्थीया का पिता)	परमजीत सिह (पुत्र)	रिछपाल कौर उर्फ लखविन्द्र कौर (पुत्री)

सवत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके नाम दर्ज 0.885 है0 नहरी भूमि का विरास्तन नामांतरण जसवंत सिंह वारिसान के नाम जरिये नामांतरण संख्या 382 दर्ज हो गया। जिसमे प्रार्थीया की दादी जरनैल कौर का देहांत जसवन्त सिंह से ही पहले हो चुका था लेकिन फिर भी त्रुटि पूर्वक रिति से दादी को भी हिस्सेदार दर्शाया गया। उक्त नामांतरण मे जरनैल कौर का हिस्सा शेष 3 वारिसों के नाम बहिस्सा बराबर कर दिया गया। प्रार्थीया के दादा जसवंत सिंह के हिस्सा की कुल 0.885 है0 भूमि मे से प्रत्येक को 1/3 1/3 हिस्सा अर्थात

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

क्टर भूमि विरासत मे प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रार्थीया के पिता गुरचरण सिह को भी 1/3 हिस्सा अर्थात क्टर नहरी भूमि विरास्तन मे प्राप्त हुई थी। इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीया मे से अपने पिता व भाई के साथ 1/3 हिस्सा अर्थात 0.098 हैक्टर नहरी भूमि की हकदार है व की घोषणा करवा पाने की अधिकारी है तथा प्रार्थीया का पिता भी इस भूमि मे केवल 0.098 है0 हकदार है। प्रार्थीया की भुआ रिछपाल कौर उर्फ लखविन्द्र कौर ने अपने 1/3 हिस्सा की दस्तबरदारी ी भाईयों गुरचरण सिंह व परमजीत सिंह को बहिस्सा बराबर कर दी, जिससे दोनो भाईयो गुरचरण परमजीत सिह को 0.147-0.147 है0 भूमि प्राप्त हुई। इस प्रकार अप्रार्थी गुरचरण सिह को प्राप्त क्टर का 1/3 हिस्सा 0.098+0.147 हैक्टर कुल 0.245 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई। प्रार्थीया अप्रार्थी के नाम दर्ज 0.443 हैक्टर मे से 0.098 हैक्टर नहरी भूमि विरास्त मे प्राप्त करने की हकदार है बंध मे प्रार्थीया के हित जन्म से ही सृष्ट हो चुके है। विवाह के बाद प्रार्थीया अपने सुसराल मे आबाद मे इस भूमि की स्वंय काश्त करने मे समर्थ नही थी इसलिये इस भूमि की काश्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की जाती रही अब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा षडयन्त्र कर प्रार्थीया के हित को समाप्त करने का या है। इसलिये प्रार्थीया अपने हिस्सा की 0.098 हैक्टर भूमि मे से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की है तथा सयुक्त खाता की भूमि मे अपना हिस्सा अनुसार विभाजन मे प्राप्त किलो का अलग से खाता रवाने के अधिकारी है। वादगत भूमि मे यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के हिस्से की भूमि को किसी भी अन्तरित कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को भारी क्षति होगी। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई पाबंद किया जाना जरूरी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक मे पाया जाता व टाईटल प्रार्थी के पक्ष मे बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश दन है कि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि चक 20 जमाबंदी सम्वत 2066 ता 69 के खाता संख्या 75/69 के मु0 नं0 11,12,74/6 कुल 11.386 हैक्टर मि मय गैरमुमकिन खाला मे से अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्त मे प्राप्त 0.295 हैक्टर नहरी भूमि जो ण संख्या 383 दिनांक 05.05.2012 के माध्यम से प्राप्त हुई है को किसी भी अनुसार अन्तरित नही रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री जे.एस चिम्मा उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या 3 ता 11 ी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार मद संख्या 1 र है। मद संख्या 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। मद संख्या 3 मे दर्ज जसवन्त सिह का हिस्सा व सिह की वंशावली स्वीकार है। शेष अस्वीकार है। जसवन्त सिह प्रार्थीया का दादा व अप्रार्थी संख्या 1 सिह प्रार्थीया के पिता नही लगते है। गुरचरण सिह की वीरपाल कौर के नाम की एक पुत्री थी जो वर्ष पूर्व मानसिक दुर्बलता के कारण घर छोडकर चली गई थी। जिसका काफी तलाश करने पर भी कोई ी लगा जिससे यह विश्वास हो गया कि वीरपाल कौर की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री का रपाल कौर उर्फ सिमरनजीत कौर नही था और न ही उसकी शादी रिछपाल सिह निवासी प्रेमनगर रा से की थी। प्रार्थीया वीरपाल कौर कोई बहुरूपिया है जिसने अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री बनकर अप्रार्थी 1 की भूमि हडपने के लिये गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। मद संख्या 4 र है। नामान्तरण संख्या 382 व 383 कानून व नियम के अनुसार सही दर्ज हुये है। मद संख्या 5 इस स्वीकार है। मद संख्या 6 अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 गुरचरण सिह प्रार्थीया का पिता नही है और प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 व पुत्रो के साथ 1/3 हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है। मद संख्या 7 इस हद ीकार है कि खातेदार जसवन्त सिह से प्राप्त भूमि की दस्तबरदारी रिछपाल कौर उर्फ लखविन्द्र कौर ने दोनो भाईयो गुरचरण सिह व परमजीत सिह के नाम बहिस्सा बराबर कर दी। शेष मद अस्वीकार है। मद स्वीकार है। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि मे से हिस्सा प्राप्त करने की हकदार नही है प्रार्थीया का अप्रार्थी संख्या 1 से कोई रिश्ता नही है। मद संख्या 9 अस्वीकार है। प्रार्थीया किसी तरह की न भूमि प्राप्त करने की अधिकारी नही है। मद संख्या 10 अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का

उपखण्ड अधिकारी (रा.प्रा.से.)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थीया के पक्ष मे बनना नही पाया जाता है अप्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारिज । जवाब स्टेट पेश नही होने पर बंद किया गया।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये स्वीकार हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी के द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये। वकील अप्रार्थी अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया की ए.डी.जे कोर्ट से खारिज हो चुकी है। पत्रावली मे कोई दस्तावेज पेश नही किया है। प्रार्थना पत्र मय ज किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया के द्वारा चक 20 एच की जमाबंदी 66 ता 69 के खाता संख्या 75/69 की कुल 11.386 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि मे प्रतिवादी संख्या ास्त मे प्राप्त 0.295 हैक्टर नहरी भूमि मे 0.098 हैक्टर नहरी भूमि के खातेदार घोषित होने एवं इस क्टर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करने एवं इस भूमि के अभिलाभ के रूप मे 6000/- रूपये प्रतिवर्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्राप्त करने बावत निवेदन करते ा पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर इस भूमि बाबत मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। धारा 212 आरटीए के तीनो बिन्दूओ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा न एवं राईट एण्ड टाईटल पर विचार किया गया। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब मे यह जाहिर किया है ल कौर के नाम की एक पुत्री थी, परन्तु प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री नही है। प्रार्थीया अप्रार्थी की पुत्री है या नही, यह तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य से तय होना है। इस कारण वीरपाल कौर के हिस्सा भूमि को संरक्षित रखा जाना आवश्यक है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन एवं राईट टल प्रार्थीया के पक्ष मे बनना पाया जाता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना कार किया जाकर प्रकरण मे दिनांक 27.05.2013 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय ई किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

आज दिनांक 28/2/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Rani

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner